बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक–01 / लेखा०–1335 / 2026– / पटना, दिनांक– अक्टूबर, 2026

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार,
उप सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशन से संबंधित विज्ञापन सामग्री संलग्न किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि राज्य में प्रकाशित होनेवाले सभी हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों (उत्तर बिहार के जिला संस्करण सहित) में दिनांक–27.10.2026 (मंगलवार) एवं 28.10.2026 (बुधवार) को प्रकाशित करवाने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/–
(धीरेन्द्र कुमार)
उप सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक– अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि– आई०टी० मैनेजर, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को IPRD (Information & Public Relation Department, Govt of Bihar) के E-Advertisement पोर्टल एवं पर विज्ञापन अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
उप सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग।

ज्ञापांक– 2059 पटना, दिनांक– 26 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि– आई०टी० मैनेजर, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

26.10.26
उप सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग।

बिहार सरकार

गन्ना उद्योग विभाग

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

(केवल ई–टेन्डर पद्धति के अनुसार वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

1. कार्यों की विवरणीः–गन्ना उद्योग विभाग द्वारा विभागीय बिहार डायरी (उत्कृष्ट कोटि एवं सामान्य कोटि), नव वर्ष कैलेण्डर, लीफलेट एवं बुकलेट इत्यादि का मुद्रण।

2. महत्वपूर्ण तिथियाँः–

i.	विज्ञापन निर्गत करने की तिथि	26.10.2026
ii.	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	17.11.2026 (प्रातः 11 बजे तक)
iii.	प्री–विड मिटिंग	02.11.2026 मध्याहन 12:00 बजे ईखायुक्त, बिहार के कार्यालय कक्ष, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना।
iv.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	17.11.2026 अपरा० 03:00 बजे
v.	निविदा खोलने का स्थान	ईखायुक्त, बिहार का कार्यालय कक्ष (भूतल) विकास भवन, नया सचिवालय, पटना।
vi.	निविदा की वैधता अवधि	03 माह (90 दिन)

3. निविदा केवल ई–निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर निष्पादित किया जाएगा।
4. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मध्यस्थता अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अतंर्गत अपीलीय प्राधिकार सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग होंगे एवं उनका निर्णय अंतिम निर्णय होगा।
5. न्यायिक विवाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय का न्यायिक क्षेत्राधिकार पटना होगा।
6. विस्तृत जानकारी गन्ना उद्योग विभाग के वेवसाइटः– https://state.bihar.gov.in/sugarcane पर भी देखी जा सकती है।

ह०/–
उप सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग
बिहार, पटना।